



दिनांक 10.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति 10/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मडियांव

• 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 09.04.2024 की रात्रि थाना मडियांव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकिब नसीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत धोखाधड़ी के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मडियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-आकिब नसीम निवासी जी0टी0बी0 नगर करेली, प्रयागराज मूलपता-ग्राम भूपतपुर थाना उत्तरांव, प्रयागराज।

जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट

• पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

गिरफ्तार

• 13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर

• 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर

• अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 10.04.2024 को थाना महेवाघाट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भवनसुरी यमुना नदी कछार में बन्द पड़े धर्मकांटा के

कमरे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा पुरस्कार घोषित अभियुक्त समीर अहमद को पुलिस कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीनगर जनपद चंदौली पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद चन्दौली, कौशाम्बी, भदोही, सीतापुर व बांदा के विभिन्न थानों पर हत्या, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महेवाघाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर अहमद निवासी गोविन्दपुर गोरियो थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—13 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—03 जीवित, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सुल्तानपुर/थाना कुडवार

● 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 10.04.2024 को थाना कुडवार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोमती नदी पुल से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कुडवार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुडवार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी ग्राम रूपसीपुर थाना महनार जनपद वैशाली, बिहार।

कमिश्नरेंट गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 06 लाख 01 हजार 800 रुपये नगद
- 02 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 09/10.04.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से 04 अभियुक्तों 1—योगेश कुमार 2—दीपक 3—दीपक पुत्र दौलतराम 4—आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 लाख 01 हजार 800 रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—योगेश कुमार निवासी 16/187 पापानगर हरपाल सिंह रोड़ गली नं0-02 करोल बाग दिल्ली।
- 2—दीपक निवासी त्रिनगर इन्द्रलोक के पास गली नं0-95 तोताराम बाजार गणेशपुरा दिल्ली।
- 3—दीपक पुत्र दौलतराम निवासी 16/180, 1 ब्लॉक पापानगर नं0-03 करोल बाग नई दिल्ली।
- 4—आशीष निवासी 2/69 न्यू रोहतक रोड आनन्द पर्वत करोल बाग दिल्ली।

बरामदगी

1-लूट के 06 लाख 01 हजार 800 रुपये नगद।

2-02 मोबाइल फोन।

3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 15 लाख 50 हजार रुपये नगद
- घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा बरामद

दिनांक: 09.04.2024 को थाना लंका व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ट्रामा सेन्टर के पीछे गली से अभियुक्त शरद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 लाख 50 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना लंका क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा रुपये चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शरद निवासी भरछा थाना बबूरी जनपद चन्दौली हालपता-सरदार राम यश सिंह धर्मशाला थाना रामनगर, वाराणसी।

बरामदगी

1-चोरी के 15 लाख 50 हजार रुपये नगद।

2-घटना में प्रयुक्त आटो रिक्शा।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- अवैध शस्त्र फैक्टी संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 46 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 28 नाल विभिन्न बोर
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 10.04.2024 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रसूलपुर गेट मुर्गा फार्म के पास से अवैध शस्त्र फैक्टी संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1-अब्दुल जब्बार 2-आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 46 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 28 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अब्दुल जब्बार निवासी ग्राम जोला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-आसिफ निवासी तकीयाकैद थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1-46 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 28 नाल विभिन्न बोर।
- 3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लगभग 34 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्टल 30 किलोग्राम अवैध गांजा
 - घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक बरामद

दिनांक: 10.04.2024 को थाना करहल व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैफई बाईपास ग्राम एमनपुर जाने वाले रास्ते पर तिराहा से 02

अभियुक्तों 1—चन्द्रशेखर 2—राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 34 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्टल 30 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रशेखर निवासी हालपता—अलीनगर थाना गॉधी पार्क जनपद अलीगढ़ स्थायी पता—पडकी थाना गौधा जनपद अलीगढ़।

2—राहुल निवासी अलीनगर थाना गॉधी पार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 34 लाख रुपये कीमत के 01 कुन्टल 30 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 16 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 09.04.2024 की रात्रि थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपाल नगर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—शोभित कुमार 2—चन्द्रकान्त उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 16 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—शोभित कुमार निवासी शिवाजी मार्ग गोपाल नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।
- 2—चन्द्रकान्त उर्फ बिल्ला निवासी शिवाजी मार्ग गोपाल नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी

- 1—16 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर ।
- 2—02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर ।
- 3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि ।

➤ जनपद सीतापुर/थाना तंबौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 15 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना तंबौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—कल्लू 2—इसराइल 3—साबिर 4—इरसाद को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

➤ जनपद सम्भल/थाना गुन्नौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 02 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना गुन्नौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—किशन उर्फ किशनवीर 2—मोरपाल को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।